दिनांक / Date:19-03-2021

<u>पॉलिसीधारकों के लिए कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण</u> Vaccination against COVID-19 for policyholders

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> PRESS RELEASE

आईआरडीएआई ने अपने पत्र दिनांकित 3 मार्च, 2021 के माध्यम से सभी बीमा कंपनियों को यह अनुदेश दिये हैं कि वे अपने पालिसीधारकों को कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण की सुविधा मुहैया करें। उसकी एक प्रति संलग्न है।

IRDAI has issued instruction to all insurance companies to facilitate vaccination against COVID-19 for their policyholders through a communication dated $3^{\rm rd}$ March , 2021. A copy of the same is attached.